Tele: 2301 0938

REGISTERED

Government of India,
Ministry of Defence,
Department of Defence Production
Directorate General of
Aeronautical Quality Assurance
'H' Block, New Delhi - 110011
Jan 2019

No. 4630/RRs/Gp 'A' & 'B' (JT, ST & AD (OL)/DGAQA/Adm-II

O/o ADG (Koraput)
O/o ADG (Nasik)
O/o ADG (SZ), Bengaluru
O/o ADG (N&CZ), Lucknow
O/o CO, AQAW (Armt), Khamaria
ORDsAQA, (Kirkee & Bengaluru)
All Detachments of DGAQA

PUBLICATION OF AMENDMENT OF RRS IN RESPECT OF TRANSLATION CADRE

Amendment in Recruitment Rules for the posts of Assistant Director (Official Language), Senior Translator and Junior Translator in DGAQA have been published in "The Gazette of India" dated 09-15 Dec 2018 vide S.R.O. 115 dated 12 Sep 2018. A copy of the same is forwarded herewith for your information.

2. Kindly acknowledge receipt.

(Rajeev Kumar Saxena) Asstt Director (Adm-II)

for DGAQA

Encl: As above

Copy to:-

UPSC:- for information w.r.t. your advice No. 3/4(9)/2018-RR dated 16th May 2018.

Internal:-

MoD/D (HAL), Do

DGAQA/Adm-I

DGAQA/IT Sec- for uploading on DGAQA's website.



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, दिसम्बर 9—दिसम्बर 15, 2018, शनिवार/अग्रहायण 18—अग्रहायण 24, 1940 No. 30] NEW DELHI, DECEMBER 9—DECEMBER 15, 2018, SATURDAY/AGRAHAYANA 18—AGRAHAYANA 24, 1940

> इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2018

का. नि. आ. 115.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, अनुवादक काडर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में राजभाषा काडर के लिए भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, राजभाषा काडर भर्ती नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनकें प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता वह व्यक्ति.—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त किसी पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

		The second secon		011		
पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) सहायक निदेशक (राजभाषा)	02*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-10 (56100- 177500 रु)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नित: वेतन मैट्रिक्स (44900-142400/-रु) स्तर-7 मे ऐसे ज्येष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा विहित संस्थान से अनुवाद संबंधित कार्य में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलातापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्तिः-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जिन्होने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900-142400/-रु) में स्तर-7 पदों पर या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी मे तीन वर्ष की सेवा की हो; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हो:-
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमे डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो, या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो, या

परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो, या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम के रूप मे रहा हो; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या इन दोनो में से एक परीक्षा का माध्यम के रुप में रहा हो, और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो;

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वशासी निकाय या कानूनी संगठनो या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्धालयो या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानो के अधीन हिंदी में परिभाषिक शब्दावली (शब्दावली संबंधी कार्य) उपयोग या प्रयोग और अंग्रेजी से हिन्दी में या हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी, या

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वशासी निकाय या कानूनी संगठनो या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्धालयो या मान्यता प्राप्त अनुसंधानो या शैक्षणिक संस्थानो के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन का तीन वर्ष का अनुभव हो या हिन्दी या अंग्रेजी में शोध किया हो ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सं	चना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विच निम्नलिखित होंगे:-	र करने के लिए) जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से प्रत्येक अवसर पर परामर्श करना आवश्यक है।
 अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग 	-अध्यक्ष
 अपर महानिदेशक (मुख्यालय), वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन 	-सदस्य
 रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग से उप सचिव या समतुल्य 	-सदस्य
समूह 'क' विभागीय पुष्टि संबंधी (पुष्टि के संबंध में विचार करने के	लिए) जिसमे निम्नलिखित
होंगे:-	
 अपर महानिदेशक वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन 	-अध्यक्ष
 वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से निदेशक या समतुल्य, 	-सदस्य
3. रक्षा मंत्रालय से उपसचिव या समतुल्य	-सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) ज्येष्ठ अनुवादक	04*(2018) * कार्यभार के आधार प परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय		चयन	लागू नहीं होता
	(7)	(8)	(9)		(10)
ला	गू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		ारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)

प्रोम्नति: वेतन मैट्रिक्स (35400-112400रु) में स्तर-6, में ऐसे कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा विहित संस्थान से अनुवाद संबंधित कार्य में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के अधेक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलातापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति

केन्द्रीय सरकारों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारीः-

- (क) (i) जिन्होने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) में स्तर-6 पदों पर या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी मे पाँच वर्ष की सेवा की हों; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो:-
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमे डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो, या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमे डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो, या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो, या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमे डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या इन दोनो में से एक परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो, और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो;

और

हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागो, कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है, अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का तीन साल का अनुभव हो।

- टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
- टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतयः तीन वर्ष से अधिक नही होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्न लिखि त	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यव नहीं है।
होंगे:- 1. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -अध्यक्ष	
से निदेशक 2. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -सदस्य	
से संयुक्त निदेशक 3. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -सदस्य	
से उप निदेशक	

(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) (3) कनिष्ठ अनुवादक		समूह 'ख', अराजपत्रित, अननसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (35400- 112400 रु.) में स्तर-6	लागू नहीं होता

(7) (6) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी तीस वर्ष से अनधिक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहें हों या तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो; या तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो; या द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी अनिवार्य या विषय रहा हो या इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो। केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के, जिनके अंतर्गत, सरकार के उपक्रम भी है, के कार्यालय में हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का मान्ताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र हो। टिप्पण 1:अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वाराः
		टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाह रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।
		(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण वि हुए हैं; और
		(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।
		टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अ

संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

430	1112	
		काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करन आवश्यक नहीं है।
	वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -अध्यक्ष से निदेशक	
	2. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -सदस्य से संयुक्त निदेशक	

[फा. सं. 4630/आर.आर./समूह 'क' एवं 'ख' [जेटी, एसटी, एडी (ओएल)]/डी.जी.ए.क्यू.ए./प्रशासन-II/डी (एच ए एल)] इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 12th September, 2018

S.R.O.115.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Translation Cadre (Group A and B posts) Recruitment Rules, 2015, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for Official Language Cadre in the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, namely:-

- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Official Language Cadre, Recruitment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the said posts, their classification
 and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed
 to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.—No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 - shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, the other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Director (OL)	*02 (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs 56100-177500).	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	
(6)	(7)	(8)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods	
(9)	(10)	
Two years	By Promotion failing which by deputation	

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

Promotion: Senior Translator in Level 7 in the pay matrix (Rs 44900-142400) with three years regular service in the grade and have successfully completed the training of two weeks in translation related work, from the institute prescribed by the administrative ministry or department.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation

Officers from the Central or State Governments or Union territories:-

(A) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department,

or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department,

And

- (B) Possessing the following educational qualification and experience.
- (i) Master's degree from a recognised university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

OI

Master's degree from a recognised university in english with hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level:

OL

Master's degree from a recognised university in any subject other than hindi or english, with hindi medium and english as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

or

Master's degree from a recognised university in any subject other than hindi or english, with english medium and hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level;

or

Master's degree from a recognised university in any subject other than hindi or english, with hindi and english as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level;

(ii) Three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in hindi and translation work from english to hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.

OR

Three years' experience of teaching in hindi and english or research in hindi or english under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
	(12)	(13)		
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :			Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occassion.	
1.	Chairman or Member, Union Public Service Commission	– Chairman		
2.	Additional Director General (Head Quarters) Aeronautical Quality Assurance	– Member		
3.	Deputy Secretary or equivalent from Ministry of Defence, Department of Defence Production	– Member		
	Group 'A' Departmental Confirmation Confirmation)	ommittee (for considering		
1.	Addl Director General, Aeronautical Quality Assurance	– Chairman		
2.	Director or equivalent from Directorate Ge Aeronautical Quality Assurance	neral, – Member	1	
3.	Deputy Secretary or equivalent from Ministry of Defence	– Member		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Senior Translator	*04 (2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation.

(11)

Promotion: Junior Translator in level 6 in the pay matrix

(Rs 35400-112400) with five years regular service in the grade and have successfully completed the training of two weeks in translation related work, from the institute prescribed by the administrative ministry or department.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation

Officers from the Central or State Governments or Union territories:-

(A) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department,

01

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 6 in the pay matrix (Rs 35400-112400)

and

(B) Possessing the following educational qualifications and other qualifications:-

Master's degree from a recognised university in hindi with english as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

or

Master's degree from a recognised university in english with hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

or

Master's degree of a recognised university in any subject other than hindi or english, with hindi medium and english as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

or

Master's degree of a recognised university in any subject other than hindi or english, with english medium and hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

or

Master's degree of a recognised university in any subject other than hindi or english, with hindi and english as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level;

and

Recognised Diploma or Certificate course in translation from hindi to english and vice versa or three years' experience of translation work from english to hindi and vice-versa in a Central or State Government office, including Government of India Undertaking.

Note-1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note-2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)	
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirma	Consultation with Union Public Service Commission	
1. Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance	- Chairman	is not necessary.
2. Joint Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance	- Member	
3. Deputy Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance	– Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Junior Translator		General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 6 in the pay matrix (Rs 35400- 112400)	Not applicable

(6)	(7)	(8)
Note xceeding thirty years. Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: Master's degree from a recognised university in hindi with english as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised university in english with hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised university in any subject other than hindi or english, with hindi medium and english as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised university in any subject other than hindi or english, with english medium and hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised university in any subject other than hindi or english, with hindi and english as compulsory or elective subjects at degree level; and Recognised Diploma or certificate course in translation from hindi to english and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2:The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable

candidates belonging to Scheduled Castes or	
Scheduled Tribes if at any stage of selection the	
Staff Selection Commission or competent	
authority is of the opinion that sufficient number	
of candidates from these communities possessing	
the requisite experience are not likely to be	
available to fill up the vacancy reserved for	
them.	

(9)	(10)	(11)
Two years	By direct recruitment.	Not applicable
	Note:	
	Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long	
	illness or study leave or under other circumstances for duration of one	
	year or more may be filled on deputation basis from officers of Central	
	Government:-	
	(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or	
	department;	
	and	
	(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.	
	Note: The period of deputation including the period of deputation in	
	another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in	
	the same or some other organisation or department of the Central Govt	
	shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for	
	appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the	
	closing date of receipt of applications.	

(12)			(13)	
Group 'B' Departmental Conficonsisting of:-	rmation Committee (for	considering confirmation)	Consultation with Un Public Serv Commission is	
Director from Directorate Gener Aeronautical Quality Assurance		– Chairman	necessary.	liot
Joint Director from Directorate of Aeronautical Quality Assurance		– Member		
Deputy Director from Directoral Aeronautical Quality Assurance		– Member		

 $[F.\ No.\ 4630/RRs/Gp\ A\ \&\ B\ [JT,ST,\ AD(OL)]/DGAQA/Adm-II/D(HAL)]$ $INDERJEET\ SETHI,\ Under\ Secy.$

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2018

का.नि.आ. 116.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 में, अनुसूची 1 घ के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-